आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 1029/2023 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती प्रवीण बेन्सन पत्नी श्री विनोद बेन्सन
2. नवीन बेन्सन पुत्र श्री विनोद बेन्सन

निवासी 66, गोविन्दपुरी कालोनी, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर।

प्रार्थी ऋणी

असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि॰ ऑफिस नम्बर 1008, 11 वी मंजील वेस्टइंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेन्टर जनकपुरी, नई दिल्ली ।

अप्रार्थी वित्तीय संस्था

रिव्यु प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 656/2022 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि॰ बनाम श्रीमती प्रवीण बेन्सन आदेश दिनांक 19.01.2023 को खारिज किये जाने ।

उपस्थित–

1. श्री आमीन अलि अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 18.03.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 656/2022 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि॰ बनाम श्रीमती प्रवीण बेन्सन में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से वकील श्री विक्रम सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण ने जी ई मनी कंट्रीवाइड कन्सूमर फिनैसिअल सर्विस (मेग्मा फिनकार्प लि॰) से 5,25,000/–रूपये का ऋण लिया गया था जिसमें से जी ई मनी कंट्रीवाइड कन्सूमर फिनैसिअल लि॰ ने 11,125/–रूपये की अवैद्य कटौती कर मात्र 5,13,875/–रूपये का ऋण दिया । उक्त ऋण के पेटे ऋणदाता ने प्रार्थी से 9507/–रूपये प्रति माह की किश्त की दर से माह सितम्बर 2003 से माह जनवरी 2011 तक वसूली कर देय राशि 70,827.80

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रूपये अधिक वसूल कर लिए, जिसके सम्बध में प्रार्थी ने उपभोक्ता न्यायालय मे परिवाद प्रस्तुत किया। जिसका प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22.8.2023 को फैसला हुआ एवं राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा भी उक्त फैसले को बहाल रखा गया है। ऋण दाता जानबूझ कर उपभोक्ता न्यायालय में अनुपस्थित रहा एवं उक्त तथ्यों को छुपा कर आर्बीट्रेटर से अपने पक्ष में एक पक्षीय अवार्ड दिनांक 15.11.2011 को पारित करवा लिया । प्रार्थी को जैसे ही आरबीट्रेटर द्वारा पारित एक पक्षीय अवार्ड दिनांक 15.11.2011 की जानकारी हुई प्रार्थी ने उक्त एक पक्षीय अवार्ड के विरूद्व धारा 34 आर्बीट्रेशन एवं कन्सीलियेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत प्रस्तुत जो कि जिला व सत्र न्यायाधीश जयपुर द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश कम 6 जयपुर महानगर जयपुर में स्थानान्तरित की गई एवं उक्त प्रकरण में न्यायायल द्वारा 14.09.2012 को इस आशय का स्थगन आदेश पारित किया गया कि धारा 34 में प्रकरण प्रस्तुत होने पर आबीट्रेटर के आदेश पर स्वतः ही स्थगित हो जाता है एवं उक्त स्थगन आदेश के अनुशरण में उपरोत इजराय समाप्त की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 तत्पश्चात दिल्ली स्थानान्तरित हुआ जो कि आज भी जिला जज कामर्शियल कोर्ट कम संख्या 6 तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली मे लम्बित है। अप्रार्थी ऋणदाता ने जानबूझ कर सआशय उपरोक्त तथ्य छुपा कर एवं सआशय गलत शपथ प्रत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से आदेश दिनांक 19.01.2023 जारी करवा लिया। अप्रार्थी ऋणदाता ने बिना प्राथी को नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए एवं बिना वैद्यानिक आवश्यकता की पूर्ति किये ही मिथ्या कथन व शपथ पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 19.01.2023 जारी करवा लिया। इस प्रकार ऋणदाता आरम्भ से ही विधि के प्रावधानों को धोखा देने की नियत से जैसे ही उस पर प्ररकण की तामील होती है वह अन्य व्यक्ति संस्था को ऋण खाता स्थानान्तरित कर देता है एवं स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है । इस प्रकार वर्तमान मे प्रार्थी ने जाबनूझ कर सआशय वास्तविक तथ्यों को छुपा कर व गलत शपथ पुत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से आदेश दिनांक 19.01.2023 जारी करवा लिया । अतः न्याय हित में अंलौच्य आदेश दिनां 19.01.2023 को रिकार्ड करने के आदेश फरमावें ।

वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि धारा 14 सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत पारित आदेश को रिकाल व रिव्यु किये जाने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को हासिल नही है। इसके समबन्ध में कई न्यायिक दृष्टान्त भी माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किये गये है। जहां तक श्रीमान के आदेश 19.01.2023 रिकाल किये जाने की कार्यवाही का प्रश्न है तो उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार हासिल है। इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष जो रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र व अन्य में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश किये जाने पर विधिवत प्रकिया अपनाते हुये धारा 14 सरफेशी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कर प्रार्थी के स्वामित्व की बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का जरिये सम्बन्धित पुलिस कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 19.01.2023 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है, उनको तय किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय पास नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner